नीलाम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पी0आई0एल0 सं0–50508/2015 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2015 के अनुपालन में जिला पंचायत सहारनपुर में ग्रामीण क्षेत्र की नदी,नालो,पोखर, आदि से रेत, पत्थर, बजरी आदि को व्यवसायिक दृष्टि से ले जाने एवं एकत्रित करने वाले वाहनों आदि को नियन्त्रित एवं विनियमित करने सम्बन्धी प्रचलित उपविधि के अनुसार खनन अभिवहन शुल्क वसूली के ठेके को कार्यादेश निर्गत होने के दिनांक से 31.03.2018 तक की अवशेष अवधि के लिए सार्वजनिक नीलाम दिनांक 22.01.2016 ,दिनांक 16.02.2016, दिनांक 29.02.2016, दिनांक 28.03.2016 व दिनांक 11.04.2016 नियत की गयी थी किन्तु किसी भी व्यक्ति, फर्म/सोसायटी/कम्पनी (पंजीकृत) द्वारा नियत दिनांक तक नीलाम शरायतों के अनुरूप वांछित अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त निश्चित तिथियों में नीलाम प्रकिया नही अपनाई जा सकी।

अतएवं उक्त नीलाम पुनः दिनांक 12.07.2016 को प्रातः 11:00बजे सभाकक्ष कार्यालय जिला पंचायत, सहारनपुर में इस हेतु गठित नीलाम समिति द्वारा किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति, फर्म/सोसायटी/कम्पनी (पंजीकृत) नियत दिनांक, समय व स्थान पर नीलाम में भाग ले सकते है। बोलीदाता को नीलाम तिथि से पूर्व जिलाधिकारी के स्वंय के हस्ताक्षर से जारी वैध चरित्र प्रमाण पत्र एंव दो करोड रूपये की हैसियत का प्रमाण पत्र के साथ जमानत के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर द्वारा जारी अंकन 1,00,00,000.00 रू0 (एक करोड रूपये मात्र) की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0, जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत सहारनपुर के पदनाम पर बन्धक हो, नीलाम तिथि से पूर्व दिनांक 08.07.2016 को सांय 5:00 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत, सहारनपुर में जमा कराने होंगें। नीलाम सूचना/नीलाम शरायतें शासकीय वैबसाईट **www.saharanpur.nic.in** पर भी प्रदर्शित की गयी है। नीलाम शरायते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला पंचायत,सहारनपुर में देखी जा सकती है।

(सुनील कुमार यादव)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,सहारनपुर

कार्यालय जिला पंचायत, सहारनपुर
पत्रांक 500 /जि0पं0–ख0अभि0शु0व0/2016–2017 दिनांकः– 16-6-2016

प्रतिलिपिः–

1. विज्ञापन सम्पादक, समाचार–पत्र दैनिक अमर उजाला, दैनिक हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, एवं विश्व मानव, सहारनपुर, दैनिक नव भारत टाईम्स, नई दिल्ली एवं दैनिक पंजाब केसरी, नई दिल्ली को इस आशय से कि उपरोक्त सूचना अपने समाचार पत्र में कम से कम स्थान में सामान्य छपाई में एक बार शासकीय दरों पर प्रकाशित कर बिल समाचार पत्र की दो प्रतियो सहित इस कार्यालय में यथा शीघ्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव महोदय, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को सादर सूचनार्थ।
4. मा0 अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत,सहारनपुर को अवलोकनार्थ।
5. जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर को सादर सूचनार्थ।
6. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सहारनपुर को सादर सूचनार्थ।
7. मा0 जिला न्यायाधीश,सहारनपुर के सूचना पट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. प्रभारी अधिकारी एन0आई0सी0, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना/नीलाम शरायतें वर्णित शासकीय वैबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. उप जिलाधिकारी,सहारनपुर,बेहट,देवबन्द,नकुड,रामपुर मनिहारन का सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. तहसीलदार, सहारनपुर,बेहट,देवबन्द,नकुड,रामपुर मनिहारन का सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
11. अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0,सहारनपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
12. अधिशासी अभियन्ता,सिचाई विभाग, सहारनपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
13. अपर जिला मजिस्ट्रेट,(प्रशासन)/अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) सहारनपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
14. नीलाम समिति के सदस्यो को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. नियत तिथि तक जमानत एवं वांछित कागजात जमा कराने वाले व्यक्तियो/संस्थाओं/फर्मो को सूचनार्थ।
16. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,सहारनपुर